

भाग-3

आवासन मण्डल जहाँ पर
सस्ते मकान, दुकान बेच रहा,
वही बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स!!

चार दुकानों की जगह बन गया अवैध कॉम्प्लेक्स!!!

राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त तृतीय में स्थित 3/SC/34,35,36,37 शोपिंग सेंटर, इंदिरा गाँधी नगर, जगतपुरा 4 दुकानों को मिलाकर बनाया जा रहा अवैध कॉम्प्लेक्स!!!

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त तृतीय में स्थित 3/SC/34,35,36,37 शोपिंग सेंटर, इंदिरा गाँधी नगर, जगतपुरा की 4 दुकानों को मिलाकर बिना पुनर्गठन करवाए, बिना नक़शे पास करवाए, बिना भवन विनियमों की पालना किये बेसमेंट सहित 6 मंजिला अवैध काम्प्लेक्स बन कर तैयार हो गया है। जानकारों के अनुसार यह दुकाने जन संपर्क विभाग के एक PRO के नजदीकी रिश्तेदार की है, जो कि वर्तमान में शहर के नगर निगम में जन संपर्क अधिकारी के रूप में तैनात है जिसने अपने रसुखातों के चलते इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण करवा लिया है।

जवाब दो!!!
सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदोती पोर्टल

इस के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

रेकरस संख्या -2021/mmp/43

भाग-1

मिशन मास्टर

राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त तृतीय में
शोपिंग सेंटर, इंदिरा गाँधी नगर, जगतपुरा
पर बन गया अवैध काम्प्लेक्स

पता:-S1, झारखंड अपार्टमेंट, सगत सिंह मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151
सर्वाधिकार ©2021

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रकाशन एवं वितरण प्रकाशन II Act 2000 के तहत उपररक्षी

जवाब दो!!!
सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदोती पोर्टल

इस के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

रेकरस संख्या -2021/mmp/67

भाग-2

पवन अरोड़ा साहब...
जवाब दीजिये किस PRO
के रिश्तेदार का है,
यह अवैध काम्प्लेक्स??

अवैध निर्माण हटाने के लिए
ज.डी.ए. की तर्ज पर आपन
जो भाड़ पर पुलिस ली है, कहां है वह पुलिस??

राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त तृतीय में स्थित 4 दुकानों 3/SC/34,35,36,37 शोपिंग सेंटर, इंदिरा गाँधी नगर, जगतपुरा को मिलाकर
बनाया जा रहा अवैध काम्प्लेक्स!!!

पता:-S1, झारखंड अपार्टमेंट, सगत सिंह मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151
सर्वाधिकार ©2021

पेज 1

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रकाशन एवं वितरण प्रकाशन II Act 2000 के तहत उपररक्षी

निर्माण दर निर्माण रोकने वाला कोई नहीं।

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को मिला नेशनल हाउसिंग अवार्ड

35 दिन में 1010 मकान बेचकर बनाया कीर्तिमान

दिल्ली गांधी नगर में किए गए शिखरस काली 6 लिए दिया अवार्ड

पंचायत किसान/जयपुर



आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को नेशनल हाउसिंग अवार्ड मिला है। यह अवार्ड नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। अरोड़ा को यह अवार्ड 35 दिनों में 1010 मकान बेचकर बनाने के लिए मिला है।

मलमास के बाद एक पखवाड़े में 135 करोड़ रुपए मूल्य की 500 सम्पत्तियों का विक्रय

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की प्लानिंग व निर्देशन में मंडल टीम ने किया कमाल

जयपुर में महल रोड पर 2400 वर्गमीटर का मूलभूत विक्रय 15 करोड़ रुपए में

राजस्थान आवासन मण्डल: हमारा प्रयास - सबको आवास

सीमा संदेश

हाउसिंग बोर्ड करेगा 200 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की व्यावसायिक सम्पत्तियों का ई-ऑक्शन

खसरो की दुनिया

अवकाश: आवासन मण्डल के द्वारा मलमास के बाद एक पखवाड़े में 135 करोड़ रुपए मूल्य की 500 सम्पत्तियों का विक्रय किया गया है।

BREAKING NEWS

UPDATE:02/06/2020

लॉन्च होते ही सुपरहिट हुई हाउसिंग बोर्ड की किश्तों में आवास योजना

24 घंटे में ही 450 से अधिक लोगों ने करवाया योजना में रजिस्ट्रेशन, राजस्थान से बाहर के लोगों ने भी बड़ी संख्या में करवाए हैं रजिस्ट्रेशन, हाथरस, नोएडा, मुंबई, दिल्ली, गुडगांव, गाजीपुर से भी हुए हैं रजिस्ट्रेशन, जयपुर समेत कई शहरों में टॉक ऑफ टाउन बन गई है यह योजना, ऐसे में आने वाले दिनों में बढ़ेगी रजिस्ट्रेशन की संख्या, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा का नया नारा भी हो चुका है लोकप्रिय, मकान की कीमत का 10 फीसदी दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए, लोग उत्सुकता से ले रहे हैं यह जानकारी-"हाउसिंग बोर्ड की 10 फीसदी योजना" के बारे में बताइए"

INDIA राजस्थान

YATA 1133, airtel 361, Hathway 780, DEN 334, 340, 327

राजस्थान आवासन मण्डल का केवल जमीन बेचने पर ध्यान, अवैध निर्माणों पर कोई कार्यवाही नहीं!!

करोड़ों के राजस्व का हो रहा नुकसान!!

वायलॉज का उल्लंघन लाइलाज • सिद्धार्थ नगर में 355 वर्ग गज में किया निर्माण एसीबी पीआरओ के परिवार का 'आशियाना' सील किया

इसका रिपोर्ट | जयपुर

जेटीए प्रवर्तन दलने ने बुधवार को सिद्धार्थ नगर और वायलॉज का उल्लंघन कर बिल्डिंग को सील कर दिया। जेटीए ने सिद्धार्थ नगर में जब इस बंद करने का नोटिस भेजा था तो उस समय सिद्धार्थ पीआरओ का निर्माण हुआ था। जेटीए की टीम ने जब सील की कार्यवाही की तो मौके पर पांच मजिस्ट्रेट होटल बन चुका था। इस होटल में 32 कमरे में बनाया जा चुका है। सिद्धार्थ नगर में जो पांच मजिस्ट्रेट अवैध बिल्डिंग प्रवर्तन दलने ने सील की वह एसीबी में पदस्थ पीआरओ राजेश कुमार के परिवार की है। जेटीए मुख्य निगरान प्रवर्तन दलने ने बताया कि सिद्धार्थ नगर में प्लॉट नं. 355-4 क्षेत्रफल 355 वर्ग गज में बिना जेटीए की अनुमति के निर्माण का उल्लंघन कर अवैध बिल्डिंग बनने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर जेटीए एक्ट के तहत नोटिस भेजा था, लेकिन बावजूद इसके भूखंड प्रवर्तन दलने ने रजत से काम जारी रखा और पांच मजिस्ट्रेट होटल का निर्माण कर लिया। इसके अलावा प्रवर्तन दलने ने बिल्डिंग को सील कर दिया। इसके अलावा प्रवर्तन दलने ने इन्फॉर्म रोड पर रजत सागर कॉलोनी में प्लॉट नं. 18 क्षेत्रफल 357 वर्ग गज पर 4 मजिस्ट्रेट अवैध बिल्डिंग को भी सील कर दिया। इस मामले में प्लॉट की नोटिस देकर निर्माण रोकवाया था। इस मामले में प्लॉट की नोटिस देकर निर्माण रोकवाया था। इस मामले में प्लॉट की नोटिस देकर निर्माण रोकवाया था।



सितंबर में नोटिस भेजा तो 8 कमरे थे; अब 32 कमरों का होटल बना

इधर...पीआरएन नॉर्थ में 60 फीट सेक्टर रोड से हटाए अतिक्रमण

पीआरएन नॉर्थ में रेलवे गार्डन के पास सारंगला प्रताप गार्डन पर 2 फीट सेक्टर रोड 60 फीट सेक्टर रोड में अब रहे करीब 140 मकानों, एकाने, चाणूरीवाल, चमूरी, रीडींग व अन्य अवैध निर्माण-अतिक्रमणों धरत किया। सेक्टर रोड पर रोड से अतिक्रमण को प्रवर्तन को हटाया जाएगा।

पीआरओ की दलील : होटल नहीं, रहने के लिए मकान बना रहा था

इस मामले में एसीबी पीआरओ राजेश कुमार का कहना है कि जिस भूखंड को सील किया गया है, वहां होटल नहीं बल्कि रहने के लिए आवास बनाया जा रहा था। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और परिवार इसमें रहने लगा था इसके बावजूद जेटीए ने रजत से काम जारी रखा है। इस भूखंड का पता मुख्य देवी के पास पर है। इसमें मुख्य देवी अपने परिवार सहित 15 सदस्यों से रह रही हैं। पड़ोसियों का अलग शिकायत पर जेटीए ने बिल्डिंग को सील किया है। जेटीए ने जिस रजत सागर कॉलोनी की कार्यवाही की वह मकान में मजिस्ट्रेट थी। इसके बावजूद मकान सील करना पड़ता है। वनका कहना है कि इनमें कुछ मकान पहले पड़ोस में मजिस्ट्रेट थे। इनके बावजूद मकान सील करने की शिकायत मिली थी, इस पर जेटीए ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया था, इस बिल्डिंग से गुज़रे मकान को निर्माण रोकवाया जा रहा है।

जन संपर्क विभाग के अधिकारी खरीद रहे हैं आवासन मंडल की जमीने औने पौने दामों में और अपनी धोंस से बनवा रहे हैं उन जमीनों पर अवैध बिल्डिंगे।

पिछले दिनों आपने समाचार पत्रों में ACB के भ्रष्ट PRO की अवैध बिल्डिंग के बारे में पढ़ा होगा यह तो केवल एक उदाहरण है ऐसे कई PRO जो राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में लगे हुए हैं आवासन मंडल की जमीने औने पौने दामों में खरीद कर, उन पर अवैध बिल्डिंगे बनाने के काले धंधों में लिप्त हैं। ऐसे ही एक महाशय है जो कि जयपुर में एक नगर निकाय में तैनात है और अपने पद की धोंस से इस अवैध बिल्डिंग को बना रहे हैं।

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन है जन संपर्क विभाग का यह PRO जो अपने पद की धोंस से 4 दुकानों को मिलाकर अवैध काम्प्लेक्स बना रहा है?
2. यह चार दुकाने उसके किस नजदीकी रिश्तेदार के नाम है? कैसे खरीद की गयी थी इन चार दुकानों की? और कितनी दुकाने है इंदिरा गाँधी नगर में इस परिवार की?
3. कहाँ पर तैनात है वर्तमान में यह PRO? कितनी वैध और अवैध संपत्ति है इस PRO और उसके नजदीकी रिश्तेदारों के पास?
4. यह काम्प्लेक्स वैध है या अवैध? भवन मालिक द्वारा किसकी अनुमति से इस अवैध काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया है? क्या इस अवैध काम्प्लेक्स के नक्शे पास है?
5. आखिर कब आवासन मंडल के अधिकारी इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाएंगे?
6. यह मामला हमारे द्वारा आवासन मंडल के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद आज दिन तक इस अवैध निर्माण को सील क्यों नहीं किया गया?
7. यदि ऐसे ही अवैध काम्प्लेक्स बनते गए तो RHB की दुकानों को कौन खरीदेगा?
8. क्या आयुक्त श्री पवन अरोड़ा के संज्ञान में लाने के बाद इस अवैध काम्प्लेक्स को तोड़ा जायेगा?